



2026:AHC-LKO:36-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 651 सन 2024

मनोज कुमार पांडेय एवं 3 अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अन्नपूर्णा अग्निहोत्री, सुधीर कुमार पांडे
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 1 / 2024)

- सुनवाई हुई।
- राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हमें सूचित किया कि इसी प्रकार की अपीलें भी दिनांक 21.02.2025 के निर्णय द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई हैं, जिनमें मुख्य अपील विशेष अपील संख्या 545/2023 [रमेश चंद्र बघेल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य] है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में अपील उचित प्रारूप में नहीं है क्योंकि दो अलग-अलग रिट याचिकाओं में पारित दो अलग-अलग आदेशों को, हालांकि वे समान प्रकृति के हैं, एक ही अपील दायर करके चुनौती दी गई है, जो न्यायालय के नियमों के तहत अस्वीकार्य है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत 16.12.2024 को 373 दिनों के विलंब से दायर की गई है, जो कि कार्यालय द्वारा दी गई आख्या के अनुसार अपील दायर करने की तिथि है। विलंब माफी हेतु एक आवेदन शपथ-पत्र के साथ दायर किया गया है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.09.2025 के सिविल अपील संख्या 11794/2025 'शिवम्मा (मृत) द्वारा एल.आर.एस. बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य' के निर्णय के आलोक में उसमें दी गई व्याख्या का अध्ययन किया है और उसे अस्वीकार्य पाया है। न केवल विलंब अत्यधिक है, बल्कि इस अत्यधिक विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। जो थोड़ा-बहुत स्पष्टीकरण दिया गया है, वह भी अपर्याप्त है। विलंब माफी के आवेदन के समर्थन में दिया गया शपथ-पत्र नौ प्रस्तरों का है। दूसरे प्रस्तर में उस निर्णय का विवरण दिया गया है जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है। शपथ-पत्र के प्रस्तर 3 में कहा गया है कि आक्षेपित निर्णय की सूचना मिलने के बाद, उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और 09.12.2024, 11.12.2024 और 12.12.2024 को उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की, यानी आक्षेपित निर्णय के पारित होने के एक वर्ष से अधिक समय बाद। शपथ-पत्र में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इस बीच क्या हुआ और अपीलकर्ताओं ने अपनी रिट याचिका की स्थिति जानने के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क करने के क्या प्रयास किए। शपथ-पत्र के प्रस्तर 4 में आगे कहा गया है कि अपीलकर्ताओं ने 12.12.2024 को संबंधित सामग्री के साथ अधिवक्ता से संपर्क किया और राय मांगी, लेकिन संपर्क किए गए अधिवक्ता का नाम नहीं बताया। इसके बाद, शपथ-पत्र में केवल इतना कहा गया है कि संपर्क किए गए अधिवक्ता ने इस अपील को दायर करने की सलाह दी, जिसे 16.12.2024 को दायर किया गया था। यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है।

4. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, विलंब माफी के लिए आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। फलस्वरूप, अपील भी **खारिज** की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 5, 2026

शान्/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।